क्षेत्रिय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय

व्यविष्य निधि भवन, चारकोप पोयसर रोड, कॉदिवली (पश्चिम), मुंबई - ४०० ०६७

ICE OF THE REGIONAL PROVIDENT FUND COMMISSIONES

सं./ महा / म. नि. / प्रयोज्यता	and the party leads their sections	বিশাক .
NO. MH/PF/APP/210 402	100 sno 1000 631	Date: 31/1/08
सेवा में	and start superiorists of the company of	Henry Short service of a contract of the contr
To person a body row	trainitaidetee aucy gratinivati nuiveemi	
26/D=2, Behind ve SVP Nagar, Andrew	wova Tele exchange,	arti ya nottanitton e to eus i politico i eni to i nottose to (n) house-aus ya talia zu sitti entre filmes stane (e-r)
विषयः कर्मचारी मविष्य निधि एवं प्रकिष का आबंटन ।	र्ग उपबन्ध अधिनियम, 1952 और उसके अधिन ।	बनाई गई योजना - इसकी प्रयोज्यता - संकेत संख्य अस्ति वर्ग
Sub: Employees' Provident thereunder applicability there	Funds and Miscellaneous Provision of - Allotment of code number.	n Act; 1952 and the scheme framed
महोदय, Sirs,		Part of the Control See of the Control of the Contr
1. आपकी फैक्ट्री/स्थापना उसकी सम	ी शाखाए और विभागों के साथ दि	से कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रक्रिण उपलब
		गई है। उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार यह प्रकट होत
Your factory/establishment Employees' Provident Funds with effect from Information made available re	and Miscellaneous Provisions Act, 19 OI[12] 200 4 eveals that	its is brought within the purview of the 52 and the scheme framed thereunde
 आपकी फैक्ट्री अनुसूची 1 में उल्लि अधिन कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकिर्ण 		कार्य करती है जिसपर अधिनियम की घारा 1(3) बे
(i) Your factory is engaged in	yees' Provident Funds and Miscelland	one of the Industries specified in eous Provisions Act, 1952 is applicable
2 आपकी स्थापना मारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसू	के लिए वर्गीकृत की गई है वि वना के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकिर्ण	जेसपर अधिनियम की घारा 1(3) (बी) के अनुसार उपलब्ध अधिनियम, 1952 लागू किया है।
ii) Yours is an establishme he Employees' Provident Fun	nts classified as expeu-	1952 has been made applicable by the (b) of the Act.
. आपकी फैक्ट्री / स्थापना जो कार्य क	The state of the s	अधिनियम की धारा 1 (3) (बी) के अनुसार भारत
1-क) जाँच पडताल / उपलब्ध सूचना		लेकिन इस शर्त पर कि आपके पूर्व अवधि के प्रलेख
1-A) The coverage is provision urther verification of your reco	NAL on the basis of enquiries made/i	information available and is subject to

(1-ख) अधिनियम की घारा (1) (4) के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकिण उपलब्ध अधिनियम, 1952 के स्वैध्छि रूप से विस्तार के

year of stour od this boy yet you no shore to pay